

-----प्रेस नोट-----

थाना अमरिया जनपद पीलीभीत पर पंजीकृत मु0अ0सं0 204/2021 धारा 376D/394/506 भादवि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी/बरामदगी व घटना का सफल अनावरण के सम्बन्ध में ।

दिनांक 05.06.2021 को वादिनी/पीड़िता की तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 204/2021 धारा 376D/394/506 भादवि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट बनाम 03 व्यक्ति अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था । उक्त अभियोग से सम्बन्धित मो0न0 UP 26 AF 2885 HONDA LIVO की बरामदगी के आधार पर जीशान अली पुत्र रहमान शाह नि0 ग्राम नौगवां पकड़िया थाना सुनगढ़ी जनपद पीलीभीत । उक्त मो0सा0 का स्वामी होना पाया गया तथा जीशान अली पुत्र रहमान शाह उपरोक्त को गिरफ्तारी कर पूछताछ की गई तो जीशान उपरोक्त ने जुर्म से इकबाल करते हुये बताया कि दिनांक 04.09.2021 को घटना के समय 01.बलजीत सिंह उर्फ बब्लू पुत्र फुम्मन सिंह नि0 ग्राम नौगवा पकड़िया थाना सुनगढ़ी,पीलीभीत 02. बलवीर सिंह उर्फ बाबा सिंह उर्फ वीरू पुत्र पेला सिंह नि0 ग्राम तिरकुनिया नसीर थाना अमरिया,पीलीभीत मेरे साथ थे तथा हम तीनों व्यक्तियों द्वारा उक्त घटना को अंजाम दिया गया था । अभियोग की विवेचना से अभियुक्त गण 01.जीशान अली पुत्र रहमान शाह 02.बलजीत सिंह उर्फ बब्लू पुत्र फुम्मन सिंह नि0गण ग्राम नौगवा पकड़िया थाना सुनगढ़ी,पीलीभीत 03. बलवीर सिंह उर्फ बाबा सिंह उर्फ वीरू पुत्र पेला सिंह नि0 ग्राम तिरकुनिया नसीर थाना अमरिया,पीलीभीत के नाम प्रकाश में आये । तत्काल पुलिस कार्यवाही करते हुये अभियोग के अनावरण तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद पीलीभीत व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद पीलीभीत द्वारा चलाये जा रहे अभियान अपराधों की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय सदर जनपद पीलीभीत के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 07.09.2021 को मुखविर खास की सूचना पर मु0अ0सं0 204/2021 धारा 376D/394/506 भादवि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तगण 01.जीशान अली पुत्र रहमान शाह 02.बलजीत सिंह उर्फ बब्लू पुत्र फुम्मन सिंह नि0गण ग्राम नौगवा पकड़िया थाना सुनगढ़ी,पीलीभीत को गिरफ्तार कर,अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु मा0 न्यायालय जनपद पीलीभीत के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार करने वाली टीम

- 01.प्र0नि0 श्री राजेश कुमार
- 02.उ0नि0 श्री नरेश कुमार
- 03.का0 1097 गौरव कुमार
04. का0 100 आकाश

आपराधिक इतिहास

01. अभियुक्त बलजीत सिंह उर्फ बब्लू पुत्र फुम्मन सिंह नि० ग्राम नौगवा पकड़िया थाना सुनगढ़ी,पीलीभीत

- मु०अ०सं० 88/2017 धारा 395/364A भादवि० थाना जहानाबाद जनपद पीलीभीत

02. अभियुक्त जीशान अली पुत्र रहमान शाह ग्राम नौगवा पकड़िया थाना सुनगढ़ी,पीलीभीत

- मु०अ०सं० 364/2017 धारा 379/411 भादवि० व 4/21 खनन अधि० थाना सुनगढ़ी जनपद पीलीभीत

03. अभियुक्त बलवीर सिंह उर्फ बाबा सिंह उर्फ वीरू पुत्र पेला सिंह नि० ग्राम तिरकुनिया नसीर थाना अमरिया,पीलीभीत

- मु०अ०सं० 131/2020 धारा 188/169/270 भादवि० थाना अमरिया जनपद पीलीभीत

बरामदगी

- अभियुक्त जीशान अली पुत्र रहमान शाह ग्राम नौगवा पकड़िया थाना सुनगढ़ी,पीलीभीत से लूटे के 800/- रूपयें बरामद किये गये
- घटना में प्रयुक्त एक अदद मो०नं० UP 26 AF 2885 HONDA LIVO

